Directorate of School Education
11 AUG 2025
Himachal Pradesh, Shimla-171001

संख्या: एच शिक्षा (स्कूल)- (-12) कार्यवाही 2025/26,
स्कूल शिक्षा निदेशालय,
हिमाचल प्रदेश लालपानी शिमला -171001।

दिनांक शिमला 171001 अगस्त 2025।

सेवा में,

समस्त उप - निदेशक स्कूल शिक्षा,
हिमाचल प्रदेश ।

विषय : **25-07-2025 को आयोजित हिमाचल स्कूल क्रीड़ा संगठन की वार्षिक वैठक की कार्यवाही।**

ज्ञापन,

दिनांक 25 जुलाई 2025 को आयोजित हिमाचल स्कूल क्रीड़ा संगठन की वार्षिक वैठक की कार्यवाही की प्रति संलग्न की जा रही है।

आपसे अपेक्षित है कि संलग्न विंदुओं के अनुसार आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करते हुए संबंधित अधिकारियों/संस्थानों को निर्देश जारी करें तथा की गई कार्रवाई की रिपोर्ट इस निदेशालय को भेजना सुनिश्चित करें।

संलग्न : बैठक कार्यवाही की प्रति।

निदेशक एवं अध्यक्ष (एच.एस.एस.ए.)
निदेशालय स्कूल शिक्षा, हिमाचल प्रदेश शिमला-01.

पृष्ठांकन संख्या सम दिनांक शिमला 01 अगस्त, 2025.

प्रति सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:
01. सचिव (शिक्षा) हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला-02।
02. अधीक्षक, आई टी सेल को निर्देश दिए जाते है की वह इस पत्र को विभागीय वेब साईट पर अपलोड करें।
03. रक्षत नस्ति।

निदेशक एवं अध्यक्ष (एच.एस.एस.ए.)
निदेशालय स्कूल शिक्षा, हिमाचल प्रदेश शिमला-01.

Directorate of School Education
11 AUG 2025
Himachal Pradesh, Shimla-171001

अन्य कार्यकारिणी सदस्य:

उप निदेशक स्तर से:

* श्री लेख राज भारद्वाज (शिमला),
* डॉ. हेमेन्दर बाली (सिरमौर),
* श्री भाग सिंह (चंबा)
* श्री कुलदीप डोगरा (किन्नौर)
* श्री देश राज (कुल्लू)

ADPEO प्रतिनिधि:

* श्री राजेन्द्र शर्मा (हमीरपुर),
* श्री प्रदीप कंवर (शिमला)
* श्रीमती प्रीतिका (सिरमौर)
* श्री जगदेव मेहता (विलासपुर)
* श्री किशन लाल (कुल्लू)

शारीरिक शिक्षा प्रवक्ता:

* श्री प्रमोद चौहान (शिमला),
* श्री जगदीश चंद (बिलासपुर)

खेल कोटा सदस्य:

* श्रीमती स्नेह लता (बिलासपुर),
* श्री वीरेंद्र धलटा (शिमला)

DPE प्रतिनिधि:

* श्री पवन कुमार (मंडी),
* श्री नरेंद्र राणा (कांगड़ा)

सभा में श्री सुरेंद्र शर्मा शारीरिक शिक्षक/ टेक्निकल असिस्टेंट (शा. शि.), ने स्कूल क्रीड़ा संगठन में आवश्यक विस्तार एवं पुनर्गठन का सुझाव रखा, जिसे सभी ने समर्थन दिया। अध्यक्ष महोदय ने निदेशालय स्तर पर एक कमेटी गठित कर संगठन के वायलॉज में आवश्यक संशोधन हेतु प्रस्ताव तैयार करने को कहा।

मद संख्या 3: डिजिटल रजिस्ट्रेशन अनिवार्यता

महासचिव ने बताया कि SGFI द्वारा राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए डिजिटल रजिस्ट्रेशन अब अनिवार्य कर दिया गया है, जो आधार से लिंक होगा। यह निर्णय पारदर्शिता लाने एवं धोखाधड़ी रोकने के लिए लिया गया है। हिमाचल में यह प्रक्रिया जोनल स्तर से ही लागू होगी। सभी प्रतिभागियों को प्रतियोगिता से कम से कम एक सप्ताह पहले डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य होगा। सभा ने इसे सर्वसम्मति से स्वीकार किया।

मद संख्या 4: अंडर-17 चयन प्रक्रिया पर लिया गया निर्णय

अंडर-17 बालक एवं बालिका वर्ग की चयन प्रक्रिया को ब्लॉक एवं जिला स्तर से प्रारंभ करने का एक प्रस्ताव सभा के समक्ष प्रस्तुत किया गया। परंतु, सभा द्वारा इस प्रस्ताव को अस्वीकृत कर दिया गया तथा यह निर्णय लिया गया कि चयन प्रक्रिया पूर्व की भांति ही संचालित की जाएगी।

इस निर्णय के अनुसार, अंडर-19 बालक एवं बालिका वर्ग राज्य स्तरीय टूर्नामेंट के अंतिम दिवस पर ही ट्रायल्स आयोजित किए जाएंगे, और इन्हीं ट्रायलों के आधार पर योग्य खिलाड़ियों का चयन कर उन्हें राष्ट्रीय स्तर की खेलकूद प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग करने का अवसर प्रदान किया जाएगा।

मद संख्या 8: अंडर-15 वॉलीबॉल अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता हेतु चयन प्रक्रिया

सभा में बताया गया कि अंडर-15 वॉलीबॉल के लिए चयन प्रक्रिया जिला एवं राज्य स्तर पर आयोजित की जाएगी। इसके उपरांत राष्ट्रीय ट्रायल पुणे में होगा, जहाँ से चयनित छात्र भारत की अंतरराष्ट्रीय टीम में भाग ले सकेंगे। यह स्कूली विद्यार्थियों के लिए पहली बार होगा जब उन्हें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खेलने का अवसर मिलेगा। इस प्रतियोगिता में वही प्रतिभागी भाग ले सकेंगे जिनकी जन्म तिथि वर्ष 2010, 2011, 2012 अथवा 2013 के अंतर्गत आती है।

अध्यक्ष महोदय ने निर्देश दिए कि चयन प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी हो तथा SGFI के सभी नियमों का पालन किया जाए। साथ ही, प्रत्येक चरण की वीडियोग्राफी अनिवार्य रूप से की जाएगी।

मद संख्या 9: योगा ओलंपियाड 2025–26 में हिमाचल प्रदेश का उत्कृष्ट प्रदर्शन

योगा ओलंपियाड 2025–26, जो कन्याकुमारी में आयोजित हुआ, उसमें हिमाचल प्रदेश की टीम ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। व्यक्तिगत वर्ग में स्वर्ण पदक एवं टीम इवेंट में कांस्य पदक प्राप्त कर प्रदेश का नाम राष्ट्रीय स्तर पर रोशन किया। राष्ट्रीय पदक विजेता चारों छात्रों को अध्यक्ष महोदय द्वारा सम्मानित किया गया। साथ ही, उनके कोच, शारीरिक शिक्षकों को भी सम्मानित कर प्रोत्साहित किया गया।

मद संख्या 10: रिफ्रेशर कोर्स की मांग

जिला हमीरपुर से एडीपीईओ श्री राजेंद्र शर्मा द्वारा सभा के समक्ष यह प्रस्ताव रखा गया कि हिमाचल स्कूली क्रीड़ा संगठन के अंतर्गत नव सम्मिलित खेलों सहित अन्य प्रमुख खेलों के लिए रिफ्रेशर कोर्स का आयोजन अत्यंत आवश्यक है, ताकि समयानुसार खेल नियमों, तकनीकी कौशलों और प्रशिक्षण विधियों में हुए परिवर्तनों को भली-भांति समझा जा सके।

अध्यक्ष महोदय ने सूचित किया कि इस विषय पर समग्र शिक्षा अभियान के साथ पूर्व से ही पत्राचार किया गया है, और समग्र शिक्षा द्वारा यह आश्वासन दिया गया है कि प्रवक्ता (शारीरिक शिक्षा), डी.पी.ई. एवं पी.ई.टी. के लिए रिफ्रेशर कोर्स का आयोजन किया जाएगा।

मद संख्या 11: एफीलीएशन हेतु आवेदन शुल्क का निर्धारण

महासचिव श्री संतोष चौहान ने सभा के समक्ष यह विषय प्रस्तुत किया कि SAI NCEO धर्मशाला, SAI STC बिलासपुर, DYSSO ऊना एवं बिलासपुर, तथा खेलो इंडिया सेंटर्स जैसे संस्थानों को हिमाचल क्रीड़ा संगठन से एफीलीएशन प्राप्त करने हेतु ₹1000 एफीलीएशन शुल्क (Application Fee) अनिवार्य किया जाना आवश्यक है। यह प्रस्ताव सभा के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिसे सभा ने सर्वसम्मति से पारित किया।

मद संख्या 12: योग, कुराश, शतरंज एवं ठोढ़ा प्रतियोगिताओं में पदक सम्मान

सभा में यह प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया कि राज्य स्तर पर आयोजित होने वाली योग, कुराश, शतरंज (Chess) एवं ठोढ़ा प्रतियोगिताओं में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले छात्र एवं छात्राओं को क्रमशः स्वर्ण, रजत एवं कांस्य पदक से सम्मानित किया जाएगा। यह प्रस्ताव सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित किया गया।

हुए हैं, जिसमें इन खेलों को संगठन की आधिकारिक खेल सूची में सम्मिलित करने का अनुरोध किया गया है।सभा में उपस्थित सदस्यों द्वारा निम्नलिखित विचार व्यक्त किए गए:

कराटे: कराटे एक मार्शल आर्ट है, जो आत्मरक्षा एवं शारीरिक फिटनेस के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। यह खेल कुश्ती, बॉक्सिंग, कुराश जैसे पारंपरिक मार्शल आर्ट खेलों से समानता रखता है। इस कारण कराटे को हिमाचल स्कूली क्रीड़ा संगठन की खेल सूची में शामिल कर, इस वर्ष राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के साथ ट्रायल बेस पर प्रारंभ करने पर सर्वसम्मति बनी।

शूटिंग: SHOOTING खेल को अत्यंत महंगा माना गया। इसके अतिरिक्त, प्रदेश के स्कूलों में शूटिंग रेंज की अभाव, और बालकों को राइफल तथा कारतूस उपलब्ध कराना व्यावहारिक एवं सुरक्षित न होने के कारण, सभा ने शूटिंग खेल को स्कूली खेलों की सूची में सम्मिलित न करने पर मत व्यक्त किया।

मद संख्या 17: विद्यालयों से प्राप्त फीस के 20% भाग की निधि निदेशालय को स्थानांतरित करने संबंधी निर्णय

सभा में यह प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया कि विद्यालयों से खेल संबंधी प्राप्त होने वाली फीस का 20% हिस्सा अगस्त के पहले सप्ताह तक जिला क्रीड़ा संगठनों द्वारा निदेशालय को अनिवार्य रूप से प्रेषित किया जाए, ताकि आगामी प्रतियोगिताओं के संचालन में आवश्यक आर्थिक सहयोग सुनिश्चित हो सके।

मद संख्या 18: टूर्नामेंट में अन्य विषय अध्यापकों की प्रतिनियुक्ति संबंधी निर्देश

एडीपीईओ कांगड़ा, अतुल कतोच, द्वारा यह प्रस्ताव सभा में प्रस्तुत किया गया कि ब्लॉक स्तर पर आयोजित प्रतियोगिताओं में शारीरिक शिक्षकों की कमी के चलते अन्य विषय अध्यापकों को विशेष आवश्यकता पड़ने पर प्रतिनियुक्त करने की अनुमति दी जाए, ताकि छात्रों की सुरक्षा एवं प्रतियोगिता संचालन में कोई बाधा न आए।

अध्यक्ष महोदय ने निर्देशित किया कि यह अनुमति केवल ब्लॉक एवं जोनल स्तर की प्रतियोगिताओं तक सीमित रहेगी, और विशेष परिस्थितियों में ही दी जाएगी।

साथ ही यह स्पष्ट रूप से निर्देशित किया गया कि जिला, राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में यदि किसी भी विषय अध्यापक की प्रतिनियुक्ति बिना निदेशालय की पूर्व स्वीकृति के की जाती है, तो प्रत्यायन करने वाली प्राधिकृत संस्था एवं प्रतिनियुक्त अध्यापक स्वयं उत्तरदायी होंगे, और आवश्यक होने पर तलब भी किया जा सकेगा। जिसे सभा द्वारा सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया।

भाषण प्रतियोगिता के विषय (Topics for U-19 Boys & Girls):

1. खेल एवं स्वास्थ्य

Sports and Health

2. हिमाचल में प्राकृतिक आपदा एवं निवारण

Natural Calamities in Himachal and their Mitigation

3. नई शिक्षा नीति: एक बहुआयामी दृष्टिकोण